न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—85 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्रीमती शान्तिबाई पत्नी छीतर, जाति तेली, उम्र बालिग, निवासी ग्राम डाबी, जिला बूंदी, राजस्थान।

......प्रार्थीया

विरूद्व

जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

............विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीया की ओर से उपस्थित :— **श्री अर्जुन सिंह**

अप्रार्थीया की ओर से :— **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः— 04.11.2025

—:आदेशः—

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 308 खसरा संख्या 619, 620, 621, 624, 665 कुल किता 05 कुल रकबा 3.2400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 619, 620, 621, 624, 665 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीया के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीया की ओर से आराजीयात जेर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीया उक्त आराजीयात जेर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जेर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीया पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा धांगड़मउखुर्द, प0ह0 धांगड़मउकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 308 खसरा संख्या 619, 620, 621, 624, 665 कुल किता 05 कुल रकबा 3.2400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/—रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीया से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:47:44 IST
Reason: SelfAttested